

पोस्त फसल की खेती के लिए आवेदनों का आमंत्रण

भारत सरकार ने अफीम पोस्त की फसल से सांद्र पोस्त भूस (सीपीएस) का उत्पादन करने के लिए और उसके बाद ऐसे सीपीएस से क्षारोद का निष्कर्षण करने के लिए एक उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए बोलीकर्ताओं से प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) जारी किया है। अन्य बातों के अलावा बोलीकर्ताओं की जिम्मेदारी में पोस्त बीज के विभिन्न किस्मों का भारतीय परिस्थितियों में परीक्षण करना भी शामिल है जिससे कि वाणिज्यिक खेती के लिए उपयुक्त किस्मों का चयन किया जा सके। उद्योगों के स्टैकहोल्डरों और भावी बोलीकर्ताओं के साथ परामर्श करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि भावी बोलीकर्ताओं को अफीम पोस्त की फसल के विभिन्न प्रकारों का खेतों में परीक्षण करने के लिए अनुमति दे दी जाएगी। तदनुसार सीपीएस का उत्पादन करने के लिए और ऐसे सीपीएस से क्षारोद का निष्कर्षण करने के लिए अफीम पोस्त फसल की परीक्षणपरक खेती करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं-

- i. खेती का क्षेत्र दो हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा।
- ii. भावी बोलीकर्ता मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में किसी भी प्लॉट/ प्लॉटों का खेती के लिए चयन करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- iii. केन्द्र सरकार एनडीपीएस रूल्स, 1985 के नियम 8 (2) के अनुसार पोस्त भूस के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती के लिए भावी बोलीकर्ताओं को लाइसेंस प्रदान करेगी।
- iv. भावी बोलीकर्ताओं को एनडीपीएस रूल्स, 1985 के नियम 36क के अनुसार सीपीएस का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस जारी करके उनको उनके इच्छा के अनुसार किसी स्थान/ कारखाना में सीपीएस का निष्कर्षण करने की अनुमति दी जाएगी।
- v. यदि भावी बोलीकर्ता सीपीएस का निर्यात करना चाहता है तो इसके लिए एनडीपीएस रूल्स, 1985 के अध्याय VI के प्रावधानों के अधीन रहते हुए अनुमति दे दी जाएगी।
- vi. भावी बोलीकर्ता समय-समय पर लागू किसी भी कानून के अंतर्गत यथा अपेक्षित विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए दायी होंगे।
- vii. परीक्षण की कुल अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी हालांकि भावी बोलीकर्ता के लिए इस दो वर्ष की अवधि में प्रत्येक मौसम/ फसल के लिए अलग से लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी होगा।
- viii. आवेदनों को संलग्न अनुबंध-1 में दिए गए प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। राजस्व विभाग द्वारा एक बार आवेदन स्वीकार कर लिए जाने पर आवेदक स्वापक आयुक्त के पास एनडीपीएस रूल्स के अनुसार खेती करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन करेंगे।
- ix. परीक्षणपरक उत्पादन का जो भी परिणाम होगा और जो भी उपज होगी उससे संबंधित जानकारी को केन्द्र सरकार के अनुबंध-2 में दिये गये प्रपत्र में सूचित किया जाएगा।

- x. आवेदक एक लाख रुपये की ईएमडी जमा करेगा और उसको परीक्षण के समाप्त होने के पश्चात वापस कर दिया जाएगा।

भावी बोलीकर्ता यदि परीक्षण संबंधी लाइसेंस प्राप्त करना चाहता है तो उसे 25 सितम्बर, 2017 को या उसके पहले राजस्व विभाग के पास आवेदन करना होगा। आवेदन को निम्न पते पर प्रस्तुत किया जाना होगा।

उप सचिव (स्वापक नियंत्रण)

कमरा सं. 48-सी

नई दिल्ली- 110001

- xi राजस्व विभाग यदि जरूरी समझे तो किसी भी आवेदन को निरस्त करने का अधिकार अपने पास रख सकता है।

अनुबंध-1

पोस्त भूस (जिससे लांसिंग के माध्यम से कोई रस निष्कर्षित न किया गया हो) के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त फसल की खेती का खेतों में परीक्षण करने हेतु आवेदन।

मैं/ हम (फर्म का नाम) पोस्त भूस, जिससे कि लांसिंग के माध्यम से किसी रस का निष्कर्षण न किया गया हो, के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की फसल के लिए खेतों में परीक्षण करना चाहता हूं/ चाहती हूं/ चाहते हैं। प्रस्तावित खेती का ब्यौरा इस प्रकार है :-

राज्य का नाम जिसमें परीक्षण प्रस्तावित है	क्षेत्र जिसमें खेती की जानी है (हेक्टेयर में)	पोस्त फसल की किस्म/ प्रजाति	परीक्षण की अवधि/ फसल मौसम	पोस्त फसल की विशेषताओं पर टिप्पणी

अनुरोध किया जाता है कि वांछित स्थान/ कारखाने में सांद्र पोस्त भूस के उत्पादन के लिए पोस्त भूस (जिससे कि लांसिंग के माध्यम से किसी रस का निष्कर्षण न किया गया हो) के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती का खेतों में परीक्षण करने की अनुमति दी जाए।

मैं/ हम एनडीपीएस ऐक्ट के प्रावधानों और नियमों तथा इस बावत स्वापक आयुक्त द्वारा जारी किए जाने वाले निर्देशों का पालन करूंगा/ करूंगी/ करेंगे और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो परीक्षणपरक खेती आदि के लिए जो अनुमति दी गई है उसे वापस लिया जा सकता है।

आवेदक का हस्ताक्षर

अनुबंध-2

पोस्टभूस (जिससे कि लांसिंग के माध्यम से किसी रस का निष्कर्षण न किया गया हो) के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती का परीक्षण परिणाम और उससे अल्कलॉयड का उत्पादन करने से संबंधित प्रारूप-

1) फर्म का नाम :

2) परीक्षण सं. :

सारणी-क

खेती का स्थान/ गांव	लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र	बोया गया क्षेत्र	फसल कटाई का क्षेत्र	बीज की किस्म	उत्पादित पोस्त भूस का कुल भार

सारणी-ख

कारखाने का नाम जहां पर सीपीएस का उत्पादन हुआ है।

निष्कर्षण की विधि जिसका प्रयोग किया गया है (जैसे कि एरोमेटिक एक्विवस आदि)

प्रयुक्त पोस्त भूस का भार	तैयार की गई सीपीएस की मात्रा	सीपीएस में अल्कलॉयड की उपस्थिति		
		मॉर्फिन %	थेबाइन %	अन्य (स्पष्ट करें) %

टिप्पणी : प्रत्येक परीक्षण से संबंधित जानकारी को अलग-अलग उपर्युक्त फॉर्मेट में प्रस्तुत की जाए।

घोषणा

इस प्रोफार्म में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही और ठीक है।

फर्म के प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर